न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2024

प्रार्थी–

लूणाराम पुत्र विशनाराम जाति गवारिया निवासी गुड़ामालानी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. श्रीमती तीजोंदेवी पत्नी हनुमानराम जाति सुथार निवासी गुड़ामालानी
3. गंगाराम पुत्र सदाराम जाति कलबी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. निम्बाराम पुत्र भूराराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 20.02.2009 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विक्रय विलेख संख्या 686 दिनांक 28.02.2009 जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी अलाट्य पट्टा विलेख संख्या 686 दिनांक 28.02.2009 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम गुड़ामालानी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 686 दिनांक 28.02.2009 जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गुड़ामालानी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के पैतृक कब्जे का रहवासी परिसर मौजा ग्राम पंचायत गुड़ामालानी की आबादी भूमि खसरा सं. 1666 में अवस्थित हैं। इस भूखण्ड पर प्रार्थी के दादा का रहवास था जिसकी ताईद करते हुए प्रार्थी के दादा मंगलाराम पुत्र उमाराम जाति गवारिया निवासी गुड़ामालानी के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों/लघु सीमांत कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड का पट्टा सं. 251 दिनांक 13.01.1986 को ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया था। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ सांठ–गांठ कर गलत तथ्यों के आधार पर पचास वर्षों से अधिक समय का रहवास होने का आधार बताकर प्रार्थी के पैतृक स्वामित्व के परिसर का आलौच्य निगरानी अधीन पट्टा सं. 686 दिनांक 28.02.2009 को जारी करवाया। इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूखण्ड का बेचान अप्रार्थी सं. 3 को किया। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 4 को बेचान कर दिया है। अप्रार्थी सं. 1 ने एक ही पट्टा संख्या के दो पट्टे पहले खसरा सं. 1717 का तथा फिर काट–छांट कर खसरा सं. 1666

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंकित कर जारी कर दिया। आलौच्य पट्टे में वर्णित नाप व पडौस के वादग्रस्त परिसर पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी भी कब्जा एवं रहवास मौके पर नहीं रहा तथा परिसर मौके पर आज भी निगरानीकर्ता के पुराने रहवासीय झूपे के गिरने से पूर्णतया खाली हैं। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 17.11.2008 को अपने नाम पट्टा सं. 605 जारी करवा दिया था तथा इस भूखण्ड में अप्रार्थी सं. 2 का वर्तमान में भी रहवास हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पुनः दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष वास्तविक तथ्य छिपाकर आलौच्य पट्टा जारी करवाया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 को गलत तथ्य अवगत करवाकर निगरानीकर्ता की बिना जानकारी में लाये मिली भगत कर आलौच्य पट्टा दिनांक 28.02.2009 को जारी करवा दिया। जिसकी जानकारी होने पर गांव में पंचायती करवाई गई एवं अप्रार्थी सं. 2 ने स्वंय के पक्ष में जारी पट्टा गलत बताया एवं उसे मौजीज व्यक्तियों के रूबरू खारिज करवाने की हामी भरी किन्तु पट्टा खारिज नहीं करवाया जिस पर निगरानीकर्ता ने आलौच्य पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा सम्यक तत्परता से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में मिसल संख्या 686/2009 पट्टा सं. 686 दिनांक 28.02.2009 जो खसरा नम्बर 1666 अंकित कर जारी किया गया हैं को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि हस्तगत निगरानी पत्रावली में जवाब मुकर्रर हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 28.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं जो स्पष्टतया मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कोई प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:35:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी के दादा मंगलाराम पुत्र उमाराम जाति गवारिया निवासी गुड़ामालानी के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों/लघु सीमांत कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड का पट्टा सं. 251 दिनांक 13.01.1986 को ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया था। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ सांठ–गांठ कर गलत तथ्यों के आधार पर पचास वर्षों से अधिक समय का रहवास होने का आधार बताकर प्रार्थी के पैतृक स्वामित्व के परिसर का आलौच्य निगरानी अधीन पट्टा सं. 686 दिनांक 28.02.2009 को जारी करवा दिया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा सं. 605 दिनांक 17.11.2008 जारी कर दिया था इसके बावजूद पुनः तथ्य छिपाकर आलौच्य पट्टा खसरा नम्बर 1717 में जारी करवाया तथा फिर कांट–छांट कर खसरा नम्बर 1666 अंकित कर दिया। इस प्रकार प्रथम तो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जब ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 605 जारी कर दिया था तो फिर पुनः दूसरे भूखण्ड का पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया जा सकता हैं। इसके अलावा आलौच्य भूखण्ड पर प्रार्थी के दादा के नाम पूर्व में ही पट्टा जारी था तो उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी करना भी विधि विरूद्ध हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ने प्रकरण में जवाब हेतु विचाराधीन होना प्रकट किया हैं जबकि निगरानी हेतु केवल अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत वैधानिकता एवं अनियमितता की कसौटी पर निर्णय किया जाना है। इसके साथ निगरानी प्रार्थना–पत्र [illegible] किये जाने के लिये कोई समय सीमा भी विहित नहीं [illegible] अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की मयाद पर की गई उजरदारी चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में आवेदित भूमि के स्थल निरीक्षण की जो रिपोर्ट सम्मिलित की गई है उसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है साथ ही उक्त आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व एवं कब्जे की ताईद में पड़ौसियान के बयान व अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं लिये गए है। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में तथा प्रार्थी के दादा के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि का ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 20.02.2009 के अनुसरण में अप्रार्थी सं. 2 श्रीमती तीजों देवी पत्नी हनुमानराम सुथार निवासी गुड़ामालानी के पक्ष में जो आलौच्य पट्टा संख्या 686 दिनांक 28.02.2009 को जारी किया गया हैं वह निरस्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा बैठक दिनांक 20.02.2009 में पारित प्रस्ताव सं. 02 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी श्रीमती तीजों देवी पत्नी हनुमानराम सुथार निवासी गुड़ामालानी के पक्ष में जो आलौच्य पट्टा संख्या 686 दिनांक 28.02.2009 जारी किया गया हैं, को निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:19 IST
Reason: SelfAttested